

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001  
सूचना/विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन।

संख्या-पीआरपीबी-एक-1(150)/2023

दिनांक-फरवरी 7, 2023

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 हेतु समंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 23.12.2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये गये हैं, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा (OMR Based) में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

1. लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत् होगी:-

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
विषय-1	सामान्य ज्ञान	150	300	02.00 घण्टा (120 मिनट)
विषय-2	सामान्य हिन्दी			
विषय-3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा			
विषय-4	मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता			

- लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी व परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर (ओ.एम.आर) आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2:00 घण्टा होगी।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये जायेंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हों चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ओ0एम0आर0 उत्तर पत्र में उत्तर(गोला) भरें।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिये 2.0 अंक निर्धारित है।
- परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प(गोला) भरने पर उस




निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-2669/2009 (एम/बी) पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जायेगी:-

सूत्र:-

सही उत्तर x निर्धारित अंक  
सही प्रश्नों की संख्या

13. बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी-एक-1(150)/2023 दिनांकित 23.12.2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियाँ नहीं की जा सकेंगी।
14. यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

  
अपर सचिव, भर्ती  
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।